

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2026/4

अपील संख्या 6/2026

तारीख रजू 01.01.2026

बनवारी पुत्र रामरतन मीना निवासी ग्राम बडौद, तहसील खण्डार ।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार ।

— रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति —

श्री अरविन्द कुमार मीना एडवोकेट

— अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व

— रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 16.03.2026

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 21/24 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बडौद के आराजी खसरा नम्बर 570/1 रकबा 0.05 बीघा किस्म गे.मु.तलाई पर संवत् 2081 में जिंस गेहूं काशत कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए दो माह (60 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमीन की किस्म मौका रिपोर्ट एवं अन्य बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देकर अपनी मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है वह टाईप शुदा परप्रोर्मा है जिसके बिना मौके अपनी मनमर्जी से तथ्य अंकित किये हैं। 91 एलआरएक्ट के नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई है। पटवारी हल्का बडौद द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत कि जिसमें आराजी ख0नं0 570/1 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै0मु0तलाई पर जिन्स गेहूं करना बताया है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर गेहूं काशत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जोत कर उक्त भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कोई जोत कर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने काशतकारी अधिनियम एवं राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर



रज

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय किया है जो निरस्त करने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में विरोधाभास है। मौका पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। वकील अपीलान्त द्वारा अपील के समर्थन में कब्जा हटा लेने का शपथ पत्र पेश किया। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रम साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली एवं अपीलान्त द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र आदि का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर स्वयं अपीलान्त की तामील हुई है। बाद तामील अपीलान्त नियत दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्त का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। चूंकि, अपीलान्त ने विवादित भूमि पर से कब्जा नहीं होने तथा भविष्य में अपीलान्त अथवा अपीलान्त के परिवार के कोई सदस्य द्वारा कब्जा काश्त नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए अपील अपीलान्त सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्त अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ-पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावे। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर